कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक–30/04/2017.

क्रमांक– 1377/47/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यकम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यकमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यकमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यकमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/– के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कोजेन्ट एजु0 सोसा0जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	कोजेन्ट कालेज आफ हायर स्टडीज,जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यकम	1–बी0ए0–प्रथम–राजनीति,इतिहास,समाज,अति0वि0 अर्थशास्त्र
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यकम	1–बी0काम0–द्वितीय–कम्प्यूटर ए0,आनर्स 2–बी0बी0ए
5	आदेश कमांक – 580/999/ आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03 / 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	कॉलेज कोड 28 के तहत् प्राचार्य की नियुक्ति ह. शिक्षकों हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन है। अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्कम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न नही है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करनें का कारण	कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियॉ नहीं है।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति की गई।

8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	1–बी0ए0–प्रथम–राजनीति,इतिहास, समाजशास्त्र,अति0वि0 –अर्थशास्त्र 2–बी0काम0–द्वितीय कम्प्यूटर एप्ली0 आनर्स–2,बी0बी0ए0
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	——निरंक——

4. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त के साथ जारी किया जाता है कि संस्था द्वारा एक माह में कॉलेज कोड 28 में अपेक्षित समस्त नियुक्तियॉ अनिवार्य रूप से कर ली जाये। अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।

5. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्वता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

6. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक– 1378/47/आउशि/सम्बद्वता/17. भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,जबलपुर संभाग,जबलपुर (म0प्र0)।
4– कुल सचिव,रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर म0प्र0)।
5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

——की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.